

कार्यालय आदेश सं०-108/2018

रेलवे बोर्ड के पत्र सं-ईओएन/2018/एसआर-10/35, दिनांक 07.06.2018 एवं महाप्रबंधक(कार्मिक)/गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं०-116, पत्रांक का/256/555-चिकित्सा(I) गोरखपुर, दिनांक 18.06.2018 द्वारा डा० शाकिर अली खान, एसएजी, आई.आर.एम.एस./चिकित्सा निदेशक/भारतीय रेल कैंसर संस्थान, वाराणसी/पूर्वोत्तर रेलवे का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 05.07.2018 से स्वीकार किया जाता है।


मंडल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी

सं०-का/191/राज/चि./डॉ.एस.ए.खान/पीसी

दिनांक 22.06.2018

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
2. करिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य स्वास्थ्य निदेशक/गोरखपुर।
5. विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
6. उप मुकाधि(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सालय/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
8. चिकित्सा निदेशक/कैं०सं०/वाराणसी।
9. मंरेप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
10. अमंरेप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. वमंविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
12. वमकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
13. सभी शाखाधिकारी, वाराणसी मंडल।
14. मंडल मंत्री/नरमू एवं अजा.अजजा. एसो.।
15. संबंधित अधिकारी।
16. मुकार्याधी/समापक अनुभाग/वाराणसी।


22-06-18
मंडल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी